उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–604 / दस–2007–301 / 2000

लखनऊ दिनांक 11 जून, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1327 / दस–2006–301 / 2000, दिनांक 28 नवम्बर, 2006 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2006 से स्वीकृत की गयी थीं, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 28 नवम्बर, 2006 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए 01 जनवरी, 2007 से महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2007 से 06 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1517 / दस–2005–308 / 2004, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1746 / दस–2005–308 / 2004, दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–351 / दस–2006, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल 2004 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत, महंगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण पेंशन तथा महंगाई पेंशन के योग पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 29 प्रतिशत की दर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगी।

3–महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3

No.-Sa-3-604/X-2007-301/2000

Dated Lucknow 11 June, 2007

Office-Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to State Government's civil/ family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum no. Sa-3-1327/X-2006-301/2000, dated November 28, 2006 on the above mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from July 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 06 per cent, with effect from January 01, 2007, the rate of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2. As a consequence of the above mentioned 06 per cent rise in the dearness relief and with the conversion of dearness relief equal to 50 per cent of the pension into dearness pension *vide* office memorandum no. Sa-3-1517/X-2005-308/2004, dated 22 September, 2005, no. Sa-3-1746/X-2005-308/2004, dated December, 02 2005 and no. Sa-3-351-2006–308/2004, dated January 31, 2006, the rate of dearness relief payable on the sum of pension and dearness pension, if any, will rise from existing 29 to 35 percent with effect from January 01, 2007.

3. In the calculation of dearness relief, fraction of rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4–यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में भी अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं।

5–यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

6–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस–10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7–महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

डी० दीप्ति विलास
प्रमुख सचिव-II

सेवा में,

उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

4. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/Corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners are also being issued separately.

5. These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State fund, under the education/technical education departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the Concerned pension disbursing authories on the basis of this office memorandum alone.

7. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

D. Diptivilasa,
Principal Secretary-II

To,

All Principal Secretaries/Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Department/Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 13 सा० वित्त–14-6-2007–(444)–12,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।